न्यायालय उप जिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद ।

वाद संख्या 31 वर्ष 09–10 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0

मौजा बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद ।

विप्रज्ञान सेवा समिति बनाम ग्रामसभा

नकल **निर्णय** Rn/नक्ल 27/X/09

प्रस्तुत वाद विप्रज्ञान सेवा समिति 459सी. पूरादलेल अल्लापुर, इलाहाबाद जरिये प्रबन्धक विकास सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी 459सी. पूरादलेल, अल्लापुर, इलाहाबाद ने ग्रामसभा बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद जरिये प्रधान उक्त मौजा को प्रतिवादी बनाते हुए धारा 143 ज0वि0अधिनियम के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि वह ग्राम बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आ0सं0 529/0.1140 लगान 0.85, 530/0.3310, 532क/0.0910, 533/0. 2630 लगान 3.30, आ0सं0 351क/0.0680, 352क/2/0.1140, 535/3/0. 0230, 537/2/0.1140 लगान 4.15, 523ख रकबा 0.1030 लगान 0.65, 531/0.6050 लगान 2.20, 537/1/0.1140, 535/4/0.0910, द्ध535/5/0.4100, 539/0.7530, 540/0.0910 लगान 8.80, 540ख/0. 1140 लगान 3.40, 538ख/0.1940, 534/0.1940 लगान 4.40, 535/1/0. 4100 लगान 7.40, 358/1/0.1260, 352क/1/0.1140, 535/2/0.2960 लगान 9.85 का जरिये बैनामा संक्रमणीय भूमिधर व काबिज दखील काश्तकार है जिसका उपयोग शैक्षणिक कार्य के लिए कराना चाहता है । यह कि क्रय की गयी आराजियात वर्तमान में गैरकृषिक है तथा प्रार्थी काश्त नहीं कर रहा है । प्रार्थी अपनी उक्त क्रय की गयी आराजियात को गैर कृषिक कराना चाहता है । साथ में ग्राम बेन्दौं की उद्धरण खतौनी संलग्न किया है ।

उक्त प्रकरण के संबंध में तहसीलदार करछना से स्थलीय एव अभिलेखीलय जॉच आख्या मंगायी गयी । क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक एव नायब तहसीलदार पनासा तथा तहसीलदार करछना ने अपनी जॉच आख्या क्रमशः दिनांक 25.07.09, 26.07.09 एवं 11.08.09 तथा 21.08.2009 व नियत प्रारूप 143ज0वि0अधि0 के तहत नियम 135ज0वि0अधि0 प्रेषित किया जिसमें उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त आराजियात मौके पर खाली है जिसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा है । उक्त भूखण्ड को आवासीय एवं शैक्षणिक उपयोग हेतु क्रय किया गया है । अतः उपरोक्त आराजियात को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है ।

नियमानुसार वाद पंजीकृत करके विपक्षी को नोटिस जारी की गयी । दिनांक 27.08.09 को नायब तहसीलदार पनासा को निर्देशित किया गया कि स्वयं स्थल निरीक्षण कर आख्या भेजे । नायब तहसीलदार पनासा ने अपनी स्थलीय जॉच आख्या दिनांक 16.09.09 में उल्लिखित किया है कि ग्राम बेन्दौं

क्रमशः 2

परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद के आ0नं0 538ख रकबा 0.194हे0, 540ख रकबा 0.114हे0, 529 रकबा 0.114हे0, 530 रकबा 0.331हे0, 532क रकबा 0.091हे, 533 रकबा 0.263हे0, 351क रकबा 0.068हे0, 352क/2 रकबा 0.114हे0, 535/3 रकबा 0.023हे0, 537/2 रकबा 0.114हे0, 523ख रकबा 0.103हे0, 531 रकबा 0.605हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.236हे0, 537/1 रकबा 0.114हे0, 535/4 रकबा 0.091हे0, 535/5 रकबा 0.410हे0, 540 रकबा 0.091हे0, 539 रकबा 0.753हे0, 534 रकबा 0.194हे0, 535/1 रकबा 0.410हे0, 358/1 रकबा 0.126हे0, 352क/1 रकबा 0.114हे0, 535/2 रकबा 0.296हे0 में से रकबा 0.433हे0 जो विप्रज्ञान सेवा समिति 459सी. पूरादलेल अल्लापुर, इलाहाबाद के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । मौके पर जमीन उबड खाबड तथा कृषि के अयोग्य है । चारों तरफ से खम्भों एवं तार द्वारा बाउन्ड्रीशुदा है जहॉ किसी भी दशा में कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है । उक्त भूखण्डों पर शिक्षण संस्थान हेतु निर्माण कार्य आरम्भ है । प्रश्नगत भूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन नहीं है । अतः उपरोक्त आराजियात को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है ।

ग्रामप्रधान ग्राम पंचायत बेन्दौं ने दिनांक 07.09.09 को अनापत्ति लिखित रूप से दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त आराजियात अकृषिक है और उबड खाबड है । ग्रामसभा को कोई नुकशान नहीं है और न ही ग्रामसभा की कोई भूमि प्रभावित है । उक्त विप्रज्ञान के सभी भूखण्ड अकृषिक हैं । रामकृष्ण व बृजलाल व रामनिधि पुत्रगण स्व0 रामनरायण तथा मेवालाल, कृष्णलाल, दिनेश कुमार व सेवालाल पुत्रगण मेवालाल निवासीगण ग्राम बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद द्वारा बयान तहरीरी दिनांक 08.09.09 को प्रस्तुत किया जिसमें कहा है कि उक्त आराजियात गैरकृषिक है और अकृषिक घोषित किये जाने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना । पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की उद्धरण खतौनी से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूखण्ड विप्रज्ञान सेवा समिति 459सी. पूरादलेल अल्लापुर, इलाहाबाद जरिये प्रबन्धक विकास सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी 459सी. पूरादलेल अल्लापुर, इलाहाबाद के नाम बजरिये बैनामा संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । नायब तहसीलदार पनासा की आख्या दिनांक 16.09.09 से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में प्रश्नगत भूखण्डों पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि भूखण्ड उबड खाबड है और अकृषिक है जिस पर चारों तरफ से खम्भों एवं तार द्वारा बाउन्ड्रीशुदा है । उक्त भूखण्डों पर शिक्षण संस्थान हेतु निर्माण कार्य आरम्भ है । ग्राम प्रधान बेन्दौं द्वारा कहा गया

है कि उक्त भूखण्डों से ग्रामसभा की कोई भूमि प्रभावित नहीं हैं और उक्त भूखण्ड अकृषिक है । ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्डों को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः नायब तहसीलदार पनासा की आख्या दिनांक 16.09.09 के आधार पर ग्राम बेन्दौं परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आ0नं0 538ख रकबा 0.194हे0, 540ख रकबा 0.114हे0, 529 रकबा 0.114हे0, 530 रकबा 0.331हे0, 532क रकबा 0.091हे, 533 रकबा 0.263हे0, 351क रकबा 0.068हे0, 352क/2 रकबा 0.114हे0, 535/3 रकबा 0.023हे0, 537/2 रकबा 0.114हे0 व 523ख रकबा 0.103हे0, 531 रकबा 0.605हे0 का 1/3 भाग रकबा 0.236हे0, 537/1 रकबा 0.114हे0, 535/4 रकबा 0.091हे0, 535/5 रकबा 0. 410हे0, 540 रकबा 0.091हे0, 539 रकबा 0.753हे0, 534 रकबा 0.194हे0, 535/1 रकबा 0.410हे0 व 358/1 रकबा 0.126हे0, 352क/1 रकबा 0. 114हे0, 535/2 रकबा 0.296हे0 में से रकबा 0.433हे0 कुल 22 गाटा रकबा 4.158हे0 को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है । तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो ।

दिनांकः 27. X. 2009.

27/X/09

(डी0एस0उपाध्याय)
उपजिलाधिकारी, करछना,
इलाहाबाद ।

ता० प्रार्थना पत्र 9/11/09
तारीख तैयारी 10/11/09
तारीख वितरण 11/11/09

11/11/09
न्यायालय उप जिलाधिकारी
करछना इलाहाबाद

[No 77]

सत्य प्रतिलिपि
11/11/09
न्यायालय उप जिलाधिकारी
करछना इलाहाबाद

COURT FEE INDIA ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

COURT FEE INDIA ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

COURT FEE INDIA 5 Rs. FOR COPYING FEES ONLY

3. मुकाबला
4. स्टाम्प रु.
3/7 = 6

11/11/09
न्यायालय उप जिलाधिकारी
करछना इलाहाबाद

2/2